अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार "मौजा सिलदिलीगा खुर्द में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करते अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता नं- 10 प्लॉट- 81/A रकबा 1.20 ए० पर रुद्रदेव सिंह S/o स्व० बिधा सिंह के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है। जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद नं- 124/2002-03 के अंतर्गत दिनांक 11/07/03 को मौजा सिलदिलीगा खुर्द थाना नं- 476 के अंतर्गत उक्त खाता 10, प्लॉट- 81/A रकबा- 1.20 ए की बंदोबस्ती उक्त रैयत रुद्रदेव सिंह पिता स्व० बिधा सिंह के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा सिलदिलिगा खुर्द के मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 76/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2004-05 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त अवैध जमाबंदी वाद 27/16-17 से बाहर किया जा सकता है।"

अतः राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा समर्पित किए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है एवं वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह० 06/12/2024
अंचल अधिकारी,
मनातू

ह० 06/12/2024
अंचल अधिकारी
मनातू

सेवा में,

श्रीमान अंचल पदाधिकारी महोदय (पलामू)

विषय :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 27/16-17 का जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा सिलादेलिया खुर्द में जो वर्त राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 10 प्लॉट नं. 81/A रकबा 1.20 एकड़ पर रुद्रदेव सिंह पिता स्व. किशा सिंह के द्वारा जोत कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बन्दोबस्ती वाद सं० 124/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11/7/03 को मौजा सिलाडेलिया खुर्द थाना नं. 476 के अन्तर्गत उक्त खाता नं. 10 प्लॉट के 81/A रकबा 1.20 एकड़ की बन्दोबस्ती उक्त रैयत रुद्रदेव सिंह के नाम से हुआ है, जिसका पिता स्व. किशा सिंह के नाम से मौजा सिलादेलिया खुर्द के मांग पंजी II के जमाबंदी मौजा सिलादेलिया खुर्द के वर्ष 2004-05 तक रसीद पेज नं. 76/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2004-05 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त अवैध जमाबंदी वाद 27/16-17 से बाहर किया जा सकता है।

[signature] 4/12/24 R.S.I

[signature] प्रमण्डल अंचल निरीक्षक, अ. आसीन महोदय 4/12/2024

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.09 14:18:20 +05:30
Location: 192.168.230.97